Gyanshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2023 GISRRJ | Volume 6 | Issue 1 | ISSN : 2582-0095

समग्र विकास हेतु महिला शिक्षा की उपयोगिता

डॉ0 शाहेदा सिद्दिकी
प्राध्यापक (समाजशास्त्र), शा0 ठाकुर रणमत सिंह, महाविद्यालय, रीवा, मध्य प्रदेश, भारत।

Article Info

Publication Issue :
Volume 6, Issue 1
January-February-2023

Page Number : 51-57

Article History
Accepted : 01 Feb 2023
Published : 25 Feb 2023

शोधसारांश– शिक्षा महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान कर गरीबी से बाहर निकलने का रास्ता प्रदान करती है। महिला शिक्षा से व्यक्ति और देश दोनों लाभान्वित होते हैं। महिला शिक्षा देश की समग्र आर्थिक उत्पादकता में भी वृद्धि करती है। अनुमान है कि किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में 0.4–0.9 प्रतिशत का अंतर केवल शिक्षा में लिंग अंतर के कारण होता है। महिला शिक्षा समाज में धन के वितरण की समानता को भी बढ़ाती है। शिक्षा महिलाओं को विशेषज्ञ कौशल प्रदान कर उन्हें बेहतर नौकरियों के लिए योग्य बनाती है। बिना लड़कियों की शिक्षा के किसी भी देश का मानव विकास सूचकांक बेहतर नहीं हो सकता है। महिला शिक्षा से ही विकसित विश्व का सपना साकार होगा जिसमें विकास के साथ खुशहाली भी होगी।

कूट शब्द : मानव विकास सूचकांक, महिला सशक्तीकरण, मानसिक अवधारणा, समृद्ध और विशाल लैंगिक समानता आदि।

हेनरी क्लिंटन के अनुसार महिलाएं दुनिया में प्रतिभा का सबसे बड़ा भंडार हैं, जिसे अभी तक पूरी तरह प्रयोग नहीं किया जा सका है। वैदिक साहित्य में भी महिलाओं को शक्ति स्वरूपा कहा गया है। महिला सशक्तीकरण का तात्पर्य महिलाओं में आत्मशक्ति की भावना, स्वयं के विकल्पों को निर्धारित करने की क्षमता, स्वयं और दूसरों के लिए सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करने के उनके अधिकार एवं उनमें समानता और उपलब्धियों के प्रति जागरूकता है।

महिला सशक्तीकरण एक मानसिक अवधारणा है। शिक्षा इस अवधारणा का विकास एवं प्रोत्साहन करती है। महिला सशक्तीकरण किसी वैयक्तिक उन्नति की बात नहीं है वरन एक शांतिपूर्ण, उन्नत, विकसित एवं खुशहाल समाज, देश और विश्व के निर्माण के लिए आवश्यक शर्त है। महिला शिक्षा और सशक्तीकरण सम्पूर्ण मानवता के लिए महत्वपूर्ण है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि– ''वे देश और राष्ट्र जो महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं, वे कभी महान नहीं बने और न ही भविष्य में कमी होंगे।'' यहां महिलाओं का सम्मान, सशक्तीकरण से सीधे–सीधे संबंधित है।[1]

महिला सशक्तीकरण के लिए चल रही बहुआयामी प्रक्रिया के कारण जीवन, समाज, राजनीति, कॉर्पोरेट जगत, प्रशासन सभी जगह महिलाओं की भूमिका में सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। शिक्षा और ज्ञान महिलाओं को सशक्त बनाता है। आर्थिक विकास विशेष रूप से महिला नागरिकों के बीच शिक्षा द्वारा ही पूरा हो सकता है। कोई भी देश कितना भी समृद्ध

Copyright: © the author(s), publisher and licensee Shauryam Research Institute. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

और विशाल क्यों न हो, प्रभावी शिक्षा न केवल एक व्यक्ति को शिक्षित करती है बल्कि उसे यह महसूस करने में भी मदद करती है कि वह समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।[2] व्यावसायिक उपलब्धि, आत्म–जागरूकता और संतुष्टि शिक्षा के प्रभावी उपयोग से सुनिश्चित होंगी।

शिक्षा संभावनाओं के द्वारा खोलती है। अब 21वीं सदी में जब महिलाएं हर क्षेत्र में आगे आ रही हैं, उन्हें सशक्त बनाना वास्तव में आवश्यक है। भारत एक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है, इसलिए हम महिला सशक्तीकरण के संदर्भ में महिला शिक्षा के महत्व को नजरअंदाज नहीं कर सकते। शिक्षा जमीनी स्तर पर महिला सशक्तीकरण के द्वार खोलने की मुख्य कुंजी है। शिक्षा आज के तकनीकी युग की चुनौतियों का सामना करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के ज्ञान के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने में मदद कर परिवार, समाज और देश के विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। महिला शिक्षा निम्न रूपों में सशक्तीकरण में योगदान देती है;

आर्थिक सशक्तीकरण को बढ़ावा :–

शिक्षा, आर्थिक सशक्तीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षा लड़कियों को उनके सामाजिक, आर्थिक और पारिवारिक जीवन में उन्नति करने का अवसर देती है। शिक्षा, महिलाओं में क्षमता निर्माण और कौशल विकास कर उनमें अनेक प्रकार से आर्थिक सशक्तीकरण को बढ़ावा देती है।[3]

स्वास्थ्य सुधार में योगदान :–

जब महिलाएं और लड़कियां शिक्षित होती हैं, तो वे अपने स्वास्थ्य के बारे में बेहतर निर्णय लेती हैं। शिक्षित महिलाएं सार्वजनिक स्वास्थ्य से लेकर व्यक्तिगत स्वास्थ्य, पोषण और यौन स्वास्थ्य के बारे में अधिक जानकार होती हैं, इसलिए वे खुद को बचाने, अपने परिवार की स्वास्थ्य देखभाल के बारे में ज्यादा सचेत होती हैं। माना जाता है कि युगांडा में एचआईवी संकुचन दर में कमी लड़कियों के लिए उच्च माध्यमिक विद्यालय नामांकन दर का प्रत्यक्ष परिणाम थी। इस रणनीति को वौश्विक–स्तर पर लागू किया जाना चाहिए। देश में उच्चतम महिला साक्षरता दर वाला राज्य केरल है। प्रजनन दर, कम शिशु और बाल मृत्यु दर वस्तुतः सामाजिक व्यवस्था पर शैक्षिक प्रभाव के सार्वभौमिक संकेतक हैं, जो केरल में सबसे कम हैं।

शिक्षित महिला अनपेक्षित गर्भधारण और छोटी उम्र में विवाह की बाध्यता अस्वीकार करने में सक्षम :–

गर्भधारण और विवाह जब वांछित और अपेक्षित होते हैं तो लोगों के लिए 'वरदान' औ लड़कियों के लिए ऐसा नहीं है। शैक्षिक स्थिति अनपेक्षित गर्भधारण के सबसे बड़े निर्धारकों में से एक है। एक लेख के अनुसार, दुनियाभर में लगभग 40 प्रतिशत गर्भधारण अनजाने में होते हैं। एक सर्वे के अनुसार, दुनियाभर में हर पांच में से एक महिला की शादी 18 साल की उम्र से पहले हो जाती है। शिक्षित महिलाओं के पास गर्भ निरोधकों एवं परिवार नियोजन का अधिक ज्ञान, पहुंच और पसंद होती है। अशिक्षित महिलाओं की 18 साल की उम्र से पहले शादी करने की संभावना माध्यमिक विद्यालय में पढ़ने वालों की तुलना में तीन गुना अधिक है। ऐसे में महिलाओं और लड़कियों को शिक्षित करना ही एक समाधान है।

महिला शिक्षा और अंतर्राष्ट्रीय विकास :– अंतर्राष्ट्रीय विकास दुनिया में सामाजिक और आर्थिक प्रगति से संबंधित है। महिलाओं की शिक्षा और सामाजिक एवं आर्थिक विकास की दरों के बीच सकारात्मक सहसंबंध है। अर्थशास्त्री लॉरेंस समर्स के अनुसार, ''लड़कियों की शिक्षा में निवेश विकासशील दुनिया में उपलब्ध सबसे अधिक रिटर्न वाला निवेश हो सकता है।'' इसी

प्रकार मानव विकास सूचकांक के तीन संकेतकों में स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष एवं शिक्षा के औसत वर्ष सम्मिलित हैं। बिना लड़कियों की शिक्षा के किसी भी देश का मानव विकास सूचकांक बेहतर नहीं हो सकता है। महिला शिक्षा से ही विकसित विश्व का सपना साकार होगा जिसमें विकास के साथ खुशहाली भी होगी।

लैंगिक समानता :– असमानता को समाप्त करना संयुक्त राष्ट्र के सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों में से एक है। इसलिए लैंगिक असमानता दूर करने के लिए शैक्षिक समानता अत्यंत आवश्यक है। जेंडर इक्विटी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए बहुत आवश्यक है, जो संयुक्त राष्ट्र का चौथा सतत विकास लक्ष्य भी है। लड़कों और लड़कियों के शिक्षा स्तरों के बीच लैंगिक समानता किसी भी देश के विकास का मापदंड और संयुक्त राष्ट्र के सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों के लिए जरूरी है। वर्तमान में जहां पुरुष साक्षरता लगभग 84.7 प्रतिशत है, वहीं महिला साक्षरता मात्र 70.3 प्रतिशत है। इस प्रकार राष्ट्रीय स्तर पर पुरुष एवं महिला साक्षरता में 14.4 प्रतिशत का अंतर है। पुरूष एवं महिला साक्षरता दर में अंतर वर्ष 1951 में 12.3 प्रतिशत था जबकि 1981 तक यह बढ़ कर 26.62 प्रतिशत हो गया।[4] उसके बाद से यह निरंतर घट रहा है। महिलाओं में सशक्तीकरण सामान्यतः दूसरी पीढ़ी में आता है। पहली पीढ़ी की शिक्षित महिलाएं अपने बच्चों विशेषकर बेटियों की शिक्षा और स्वास्थ्य का बेहतर ध्यान रखती हैं जिससे उनकी बेटियां अच्छी शिक्षा प्राप्त कर समाज में अच्छा मुकाम हासिल करती हैं। इसलिए 1981 के बाद से पुरुष एवं महिला साक्षरता दर में अंतर तेजी से कम हुआ है।

शिक्षा से आर्थिक विकास :– महिला शिक्षा की कमी आर्थिक विकास में बड़ी बाधा है। शिक्षा महिलाओं को रोजगार के अवसर देकर गरीबी से बाहर निकलने का रास्ता प्रदान करती है। महिला शिक्षा से व्यक्ति और देश दोनों लाभान्वित होते हैं। जो व्यक्ति शिक्षा में निवेश करते हैं, उन्हें अपने पूरे जीवनकाल में शुद्ध मौद्रिक लाभ प्राप्त होता है। प्रमुख शिक्षा अर्थशास्त्री हैरी पैट्रिनोस के अनुसार, ''निजी दर के रिटर्न के अनुमान के अनुसार शिक्षा का लाभ□दता निर्विवाद, सार्वभौमिक और वौश्विक है।'' महिला शिक्षा में निवेश किए गए संसाधनों पर पुरुषों की तुलना में 1.2 प्रतिशत अधिक रिटर्न मिलता हैं। लड़कियों को एक साल की अतिरिक्त शिक्षा देने से उनके वेतन में 10-20 प्रतिशत की वृद्धि होती है। यदि कोई महिला केवल एक वर्ष के लिए माध्यमिक विद्यालय में जाती है, तो शिक्षा का यह अनुभव उसकी जीवनभर की कमाई को 20 प्रतिशत तक बढ़ा सकता है।[5]

महिला शिक्षा देश की समग्र आर्थिक उत्पादकता में भी वृद्धि करती है। अनुमान है कि किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में 0.4-0.9 प्रतिशत का अंतर केवल शिक्षा में लिंग अंतर के कारण होता है। महिला शिक्षा समाज में धन के वितरण की समानता को भी बढ़ाती है। शिक्षा महिलाओं को विशेषज्ञ कौशल प्रदान कर उन्हें बेहतर नौकरियों के लिए योग्य बनाती है।

सामाजिक विकास को सकारात्मक बढ़ावा :– महिलाओं को शिक्षित और सशक्त बनाने वाला समाज ही उन्नत समाज बन सकता है। प्रजनन दर, मातृ मृत्युदर और शिशु मृत्युदर में कमी, लैंगिक समानता, समान अधिकार और अवसर, कम घरेलू हिंसा, परिवार में महिलाओं की अधिक सक्रिय भूमिका आदि प्रमुख सामाजिक विकास बिंदु हैं। एक शिक्षित पिता की तुलना में एक शिक्षित मां से जुड़े बच्चों की न केवल जीवित रहने की उच्च दर अधिक होती है बल्कि उन्हें बेहतर पोषण भी मिलता है। शैक्षिक सुविधाओं की बेहतर पहुंच और स्थिति बालश्रम से जुड़े गरीबी के दुष्चक्र को तोड़ने में मदद कर सकती है।

शिक्षा नारी को अनेक बंधनों से मुक्त कर उनके लिए एक नई प्रबुद्ध दुनिया के द्वार खोलती है। शिक्षा सामाजिक बुराइयों–दहेज, यौन उत्पीड़न, कुप्रथाओं और पितृसत्तात्मक व्यवस्था को समझने और उत्पीड़न के खिलाफ खड़े होने में सक्षम और समर्थ बनाती है।

भारत में महिला शिक्षा की स्थिति :– 14 साल तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के संवैधानिक निर्देश के बावजूद लड़कियों में शिक्षा की प्रगति धीमी रही है। स्वतंत्रता के बाद से पुरुष और महिला साक्षरता दर के बीच अंतर है जिसे तालिका–1 में देखा जा सकता है।

भारत में साक्षरता दर 1951 में 18.3 प्रतिशत से बढ़कर 2011 में 74.04 प्रतिशत हो गई, जिसमें शिक्षा में महिलाओं का नामांकन भी 7 प्रतिशत से बढ़कर 65.46 प्रतिशत हो गया। 2011 में शिक्षित व्यक्तियों का प्रतिशत बढ़कर 74.04 प्रतिशत हो गया, जिसमें पुरुष और महिला साक्षरता 82.14 और 65.46 प्रतिशत थी।

वर्तमान में सकल नामांकन अनुपात, शुद्ध नामांकन अनुपात और विभिन्न कक्षाओं में संक्रमण दर को तालिका–3 से समझा जा सकता है।

महिला शिक्षा में प्रमुख बाधाएं :– महिला शिक्षा एवं सशक्तीकरण को सुनिश्चित करने के लिए महिला शिक्षा में प्रमुख अवरोधों को समझना आवश्यक है। समाज की अत्यधिक पितृसत्तात्मक प्रकृति, पारंपरिक रूढ़िवादी सोच, कम उम्र में विवाह, बालश्रम और संरचनात्मक और संस्थागत कारक के कारण देश की अधिकांश महिलाएं शिक्षा के अधिकार से वंचित रह जाती हैं। भारतीय परिवारों में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, बालिकाएं घर के कामों जैसे भाई–बहन की देखभाल, पानी लाना, लकड़ी इकट्ठा करना, सफाई और खाना बनाना आदि की जिम्मेदारियों को निभाती हैं जिससे इन बालिकाओं को स्कूल जाने के लिए हतोत्साहित किया जाता है। दहेज प्रथा और अन्य सामाजिक प्रथाएं बालिकाओं की उपेक्षा और बालिकाओं के प्रति भेदभाव के मुख्य कारणों के रूप में कार्य करती हैं। इस कारण या तो लड़कियों का स्कूलों में नामांकन नहीं होता या बाद में स्कूल सिस्टम से ड्रॉपआउट हो जाता है।[6]

भारत में, लड़कियों के लिए स्कूल का माहौल दिलचस्प और उत्साहजनक होना चाहिए। मूलभूत सुविधाओं–पीने के पानी, शौचालय की सुविधा की कमी और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए अपर्याप्त व्यवस्था लड़कियों की शिक्षा में बाधक हैं। अब जबकि यह सर्वविदित है कि महिलाओं के सक्रिय योगदान के बिना समाज कार्य नहीं कर सकता है, इन बाधाओं को दूर कर महिला शिक्षा को बढ़ाना ही होगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में महिला शिक्षा :– राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा के सभी स्तरों प्री–स्कूल से लेकर माध्यमिक और उच्च शिक्षा तक सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से वंचित समूहों (एसईडीजी) की एक समान सहभागिता सुनिश्चित करने पर जोर देती है। राष्ट्रीय शिक्षा के नीतिगत प्रावधान में महिलाओं की शिक्षा में भागीदारी को बढ़ाने के लिए अनेक प्रावधानों का सुझाव हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पैरा 6.2 में लिंग (महिला व ट्रांसजेंडर व्यक्ति) को सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूहों में एक माना गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति उन समस्याओं और बाधाओं को चिन्हित करती है जो लड़कियों की शिक्षा के रास्ते में आती हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जेंडर–समावेशी कोष की स्थापना की सिफारिश एक क्रांतिकारी कदम है। यह जेंडर

समावेशी कोष राज्यों के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा। जिससे उनको ऐसी नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों आदि को लागू करने में सहायता मिलेगी ताकि बालिकाओं को विद्यालय परिसर में अधिक सुरक्षापूर्ण एवं स्वस्थ वातावरण मिल सके।

तालिका–1 : पुरुष और महिला साक्षरता में अंतर

वर्ष	कुल	पुरुष	महिला (प्रतिशत में)
1901	5.3	9.8	0.7
1911	5.9	10.6	1.1
1921	7.2	12.2	1.8
1931	9.5	15.6	2.9
1941	16.1	24.9	7.3
1951	16.7	24.9	7.3
1961	24.0	34.4	13.0
1971	29.5	39.5	18.7
1981	36.2	47.9	24.8
1991	52.1	63.9	39.2
2001	65.38	76.0	54.0
2011	74.04	82.14	65.46

तालिका–2

संकेतक	2020-21											
	प्राइमरी			अपर प्राइमरी			सेकेंडरी			सीनियर सेकेंडरी		
	छात्र	छात्रा	कुल	छात्र	छात्रा	कुल	छात्र	छात्रा	कुल	छात्र	छात्रा	टोटल
सकल नामांकन अनुपात	102.22	104.45	103.28	91.64	92.74	92.17	80.05	79.45	79.77	52.99	54.65	53.79
शुद्ध नामांकन अनुपात	91.58	93.79	92.63	73.57	74.51	74.02	52.57	52.37	52.47	33.88	35.60	34.71
	प्राइमरी से अपर प्राइमरी			अपर प्राइमरी से सेकेंडरी			सेकेंडरी से सीनियर सेकेंडरी					
संक्रमण दर	91.64	91.88	91.76	90.98	88.75	89.89	71.99	73.60	72.76			

केंद्र द्वारा प्रायोजित समग्र शिक्षा योजना :– शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और अधिकांश स्कूल राज्य और केंद्रशासित प्रदेश की सरकारों के अधीन हैं, तथापि यह सुनिश्चित करने के लिए कि देश के प्रत्येक छात्र की शिक्षा तक निरंतर पहुंच हो, केंद्र द्वारा प्रायोजित समग्र शिक्षा योजना को राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों के अनुरूप समेकित किया गया है। स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर लिंग और सामाजिक श्रेणी के अंतर को पाटना समग्र शिक्षा योजना के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है।

लड़कियों तक स्कूली शिक्षा में पहुंच, भागीदारी और सीखने के परिणामों में सामाजिक श्रेणी के अंतराल को पाटने के लिए, राज्य द्वारा शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए स्कूल खोलना कक्षा आठवीं तक की लड़कियों को मुफ्त पाठ्य–पुस्तकों का प्रावधान, आठवीं कक्षा तक की सभी लड़कियों को वर्दी, लड़कियों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों के संवेदीकरण कार्यक्रम, माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण आदि कार्यक्रम चलाए जाते हैं।

बालिका शौचालय :– शौचालय की सुविधा यद्यपि सभी के लिए आवश्यक है, तथापि बालिकाओं के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। बालिका शौचालय का अभाव लड़कियों के ड्रॉपआउट का प्रमुख कारण है। समग्र शिक्षा योजना में सभी स्कूलों में अनिवार्यतः बालिका शौचालय उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।

महिला सशक्तीकरण से महिला शिक्षा :– महिला सशक्तीकरण और महिला शिक्षा एक–दूसरे के कारक, पूरक और आत्मनिर्भर हैं। जिस प्रकार शिक्षा महिला सशक्तीकरण का एक महत्वपूर्ण उपकरण है, उसी प्रकार सशक्त महिलाएं शिक्षा को बढ़ावा देने में प्रमुख भूमिका निभाती हैं। जहां शिक्षा की पहुंच महिलाओं के जीवन और समाज में महिलाओं की स्थिति को मौलिक रूप से बदलती है, वहीं महिला सशक्तीकरण से शिक्षा और शैक्षिक गतिविधियों को नए रूप में पोषित एवं परिभाषित कर उसकी सार्वभौमिक पहुंच और गुणवत्ता सुनिश्चित होती है।

निष्कर्ष :– भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। 1.4 अरब की आबादी में लगभग आधी महिलाएं हैं। वस्तुतः सशक्त और आत्मनिर्भर □रत की संकल्पना के मूल में देश की आधी जनसंख्या (महिला शक्ति) की शिक्षा, स्वास्थ्य, वर्कफोर्स में हिस्सेदारी, सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक गतिविधियों में भागीदारी विद्यमान है। महिला सशक्तीकरण का सबसे अच्छा साधन शिक्षा है। अपाला, घोषा और लोपामुद्रा का भारत इसे वास्तविक धरातल पर उतारने के लिए दृढ़ संकल्प है। महिलाओं और लड़कियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से महिला सशक्तीकरण और बेहतर समाज के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. बघेल डी.एस., भारत में सामाजिक परिवर्तन, पुष्पराज प्रकाशन रीवा, 1970
2. यादव वीरेन्द्र सिंह, नई सहस्त्राब्दी का महिला सशक्तीकरण – अवधारणा, चिन्तन एवं सरोकार, ओमेगा, प्रकाशन दिल्ली, 2010
3. कुरुक्षेत्र, भारत सरकार, सितंबर, 2022
4. योजना, भारत सरकार, 2022
5. नव भारत टाइम्स, जून, 2022
6. शर्मा दिवाकर एवं पाण्डेय उमाशंकर, समाजशास्त्र की मूल अवधारणाएं, निधि प्रकाशन, 2017